प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 03 जनवरी, 2024

विषय:-वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन हेतु विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2023-24/665, दिनॉक 22.11.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन हेतु विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से रू0 900.00 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत राजस्व पक्ष के लेखाशीर्षक 2210-05-789-03-02-राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि रू0 900.00 लाख (रू0 नौ करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति (संलग्न प्रपत्र बीएम-9 के अनुसार) निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, चि0शि0 का होगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गयी है।
3. जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में नहीं की जाएगी।
4. स्वीकृत धनराशि को बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2210057890302 (राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, उरई , जालौन)

	अनुदान	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेव साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	संख्या			
1	083	2210057890302 राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, उरई , जालौन	29 अनुरक्षण	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
2	083	2210057890302 राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, उरई , जालौन	41 भोजन व्यय	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
3	083	2210057890302 राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, उरई , जालौन	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	7,00,00,000 (रुपये सात करोड़ मात्र)
	कुल			**9,00,00,000** **(रुपये नौ करोड़ मात्र)**
महायोग		9,00,00,000 (रुपये नौ करोड़ मात्र)		

के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक -17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

Digitally Signed by सत्य प्रकाश सिंह
Date: 01-01-2024 17:22:55
Reason: Approved

(एस0 पी0 सिंह)
उप सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक, निदेशालय,चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेव साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. उप सचिव (श्री आनन्द कुमार त्रिपाठी) चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
7. समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है. अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग- 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/ स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

A071-2023-24-71-1002-25-2023

विषय:- वित्तीय वर्ष **2023-24** में राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन हेतु विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवदेन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवदेन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष
83	22100578903 02 (राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज , जालौन)	01- (वेतन)	28,27,62,000 रूपये अट्ठाईस करोड़ सत्ताईस लाख बासठ हजार मात्र	5,50,00,000 रूपये पांच करोड़ पचास लाख मात्र	5,50,00,000 रूपये पांच करोड पचास लाख मात्र		22,77,62,000	2023-24
83	22100578903 02 (राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज , जालौन)	03- (मंहगाई भत्ता)	13,40,83,000 रूपये तेरह करोड़ चालीस लाख तिरासी हजार मात्र	3,50,00,000 रूपये तीन करोड पचास लाख मात्र	3,50,00,000 रूपये तीन करोड पचास लाख मात्र		9,90,83,000	2023-24

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष
83	2210057890302 (राजकीय एलोपैथिक	29- (अनुरक्षण)	40,00,000 रूपये चालीस लाख मात्र	1,00,00,000 रूपये एक करोड़ मात्र		1,40,00,000	2023-24

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	मेडिकल कालेज , जालौन)						
83	2210057890302 (राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज , जालौन)	41-(भोजन व्यय)	25,00,000 रूपये पच्चीस लाख मात्र	1,00,00,000 रूपये एक करोड़ मात्र		1,25,00,000	2023-24
83	2210057890302 (राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज , जालौन)	58-(आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान)	5,50,00,000 रूपये पांच करोड़ पचास लाख मात्र	7,00,00,000 रूपये सात करोड़ मात्र		12,50,00,000	2023-24

कृपया उपर्युक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहें:-

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, उरई, जालौन के पत्र दिनांक 26.10.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत राजस्व पक्ष वेतनादि मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 900.00 लाख की बचत सम्भावित है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, उरई, जालौन के पत्र दिनांक 26.10.2023 द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में अत्यंत आवश्यक अनुरक्षण कार्यो को कराये जाने हेतु अनुरक्षण मद में रू0 100.00 लाख , मरीजों एवं उसके साथ एक सहयोगी हेतु भोजन की व्यवस्था किये जाने हेतु भोजन मद में रू0 100.00 लाख तथा आउट सोर्सिंग के आधार पर सृजित कुल 669 पदो पर कार्मिकों की तैनाती के लिए सेवाप्रदाता फर्म का चयन जेम पोर्टल के माध्यम से किया जा चुका है तथा शासन द्वारा मानव संसाधन की आपूर्ति हेतु रू0 1052.09 लाख की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, इसके अतिरिक्त भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम से सम्बन्धित सुरक्षा कार्मिको का भुगतान भी इसी मद से किया जा रहा है। चूंकि वर्तमान वित्तीय वर्ष में मानक मद-58 आउटसोर्सिंग सेवाओं के भुगतान हेतु मात्र रू0 550.00 लाख का बजट प्राविधान है, जो पूर्ण व्यय हो चुकी है, जिसके कारण आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन प्रदान किये जाने हेतु रू0 700.00 लाख की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

संख्याः आर ई-बजट-1-274-2023-24, दिनांक 28 दिसम्बर, 2023

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एंव हकदारी) प्रथम/द्वितीय,
उ0प्र0, प्रयागराज।

(एस0पी0 सिंह)
उप सचिव।

(बृजेन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या/दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
7. समाज कल्याण विभाग।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
Digitally Signed by सत्य प्रकाश सिंह
Date: 01-01-2024 17:23:44
Reason: Approved
(एस0पी0 सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।